

तारीख हुक्म

27-03-26

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादी के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखा वादी का वाद 'अदम पैखी' व 'अदम दालिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर दारिजल दफतर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बाइमेर